

अतारंकित प्रश्न सं : 2297

29 , 2016 प्रश्न सं

2297. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

डॉ० स्वामी साक्षीजी

श्री दुष्यंत चैटाला:

श्री जे०जे०टी० नट्टर्जा:

श्री

श्री

श्री श्रे

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित आर्बाई/उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ क्षेत्र- व ;

(ख) क्या सरकार ने एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों के सावजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) सहित उप केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है तथा यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनएचएम के अंतर्गत स्थापित किए गए ऐसे केंद्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इन केंद्रों में और उप केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों तथा उपकरणों की कमी है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त केंद्रों में हरियाण सहित स्वास्थ्य कर्मियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने रिक्त पद हैं;

(घ) खाली पदों को भरने और डाक्टर- व ;

(ङ) क्या सरकार एनएचएम के अंतर्गत कोई वार्षिक एकीकृत कार्ययोजना बना रही है और देश भर में इसकी कार्यान्वयन की समीक्षा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या ?

त

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री र फि र )

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2015-16

राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरा अनुलग्नक I

(ख): विगत तीन वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत सहायता प्राप्त उप केन्द्रों, जन स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) को संख्या दशाता राज्य/संघ राज्य वार विवरण  
ग्र ॥

(ग) और (घ): इन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा कार्मिकों तथा उपकरणों को कुछ कमी है। विगत तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त केन्द्रों में चिकित्सा कार्मिकों के रिक्त पदों को संख्या का हरियाणा सहित ब्यौरा अनुलग्नक III

, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन में (पीआईपी) में प्रस्तावित अपेक्षाओं के आधार पर किसी खास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में संसाधनों को सीमा के भीतर संविदा आधार पर विशेषज्ञों के नियोजन हेतु सहयोग सहित उनको स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशेषज्ञों के प्रयोग क्षेत्र भत्ता - 6 प्रति महीने सहित आकषक पारिश्रमिक प्रदान करने को मंजूरी दी गई है ताकि विशेषज्ञ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोग की जा सकें, राज्यों को तैनाती और स्थानांतरण पारदर्शी नीति बनाने को सलाह और स्वास्थ्य पेशेवरों को विवेकपूर्ण तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पद संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भरे जाते हैं इसलिए - 7 प्रति महीने -दराज और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन क्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से संघ राज्य आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2000 में, जिसका उद्देश्य है -

- (i) सरकारी सेवा में कार्यरत जिन चिकित्सा अधिकारियों ने कम से कम तीन वर्षों तक दूरस्थ कठिन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं अर्पित की हैं, संघ राज्य क्षेत्र पाठ्यक्रमों में 50% छूट ;
- (ii) संघ राज्य क्षेत्र आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में दूर-या कठिन क्षेत्र में प्रतिवर्ष की गई सेवा के लिए प्राप्तांकों के 10% को दर से तथा प्राप्तांकों के 30% तक प्रोत्साहन

देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए :

- I. सभी एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को 1:1 से संशोधित करके 1:2 तथा संज्ञाहरण विज्ञान, चिकित्सा, नर्सिंग, ऑपरेशन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को 1:1 से संशोधित करके 1:3 किया जाये।
- II. संकाय की कमी को पूरा करने हेतु संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी अहता को मान्य प्रमाणित किया जाये।

III. स 150 250 f

IV. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा विस्तार / f  
65 70 f

V. र / र क्ष न  
शक्ति को दृष्टि से निर्धारित मानकों में

VI. केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधियाँ को साझेदारी के साथ नए स्तर पाठ्यक्रम शुरू  
/र स्तर सीटों में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण/उन्न

VII. केंद्र और राज्य सरकार के बीच निधियाँ को साझेदारी के लक्ष्यों  
प्राथमिकता देते हुए जिला/रेफरल अस्पताल बनाने के नए मेडिकल कॉलेजों को स्था

VIII. एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का  
/ न

( ) : स स्थ ज है। अतः एनएचएम के तहत राज्य सरकार वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन  
योजना (पीआईपी) तैयार करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सवक्षण (एनएफएचएस),  
स्तरीय परिवार एवं सुविधा केन्द्र सवक्षण (डीएलएचएस), नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) आदि  
लक्ष्य केंद्र किए जाते हैं तथा एनएचएम को प्रगति का कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु वार्षिक समान समीक्षा  
मिशन (सीआरएम) आयोजित किया गया है। सीआरएम में स्वास्थ्य तथा संबंधित विभाग के सरकारी  
स स्थ ज,

f प्र

वित्त वर्ष 2015-16

न

क्र.	विवरण	2015-16		
1		28.21	37.26	11.47
2	प्र	616.23	642.89	1090.17
3	क प्र	160.01	161.65	146.27
4		941.29	970.84	1186.01
5		1108.61	1139.28	1396.03
6		14.24	23.88	20.98
7	क	479.38	410.80	758.28
8		11.37	14.37	15.54
9		9.11	10.53	15.69
10	दिल्ली	142.81	163.80	137.29
11		19.41	16.77	24.92
12		677.65	693.78	1272.42
13		249.33	291.96	493.23
14	प्र	197.92	246.49	239.80
15	क - प्र	368.00	367.89	420.94
16		493.37	395.15	590.18
17		706.09	740.35	1141.61
18		305.87	304.14	545.70
19	लक्षद्वीप	4.28	5.69	2.72
20	क प्र	1085.37	1131.10	2046.60
21	प्र	1282.31	1085.92	1734.44
22		118.53	112.14	105.51
23		131.00	100.60	133.55
24		97.87	93.51	172.38
25		108.75	104.21	81.05
26		624.71	644.52	1205.77
27		17.77	18.61	21.77
28		284.75	295.19	619.01
29	क	1069.38	1284.66	1799.11
30	सिक्किम	45.86	41.00	50.71

31		794.38	1093.22	1633.37
32	अ	139.08	135.24	118.77
33	ल म	2299.49	2862.23	4451.78
34	ल	256.60	276.38	335.95
35	अ	883.49	957.92	1411.61
36		440.58	436.38	505.55
		16213.09	17310.34	25936.17

**टिप्पणी:**

1. /
2. उपयुक्त निगत राशि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा उनमें राशि का भाग शामिल नहीं है।
3. उपयोग में केन्द्र निगत राशि निगत तथा वर्ष के आरंभ में अर्जित बकाया के विरुद्ध उपयोग शामिल है।

प्र - न्द, पीएचसी व सीएचसी की संख्या				
क्र. .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 , 2013 )		
		उप केन्द्र		
1	आंध्र प्रदेश	12522	1709	292
2	अरुणाचल प्रदेश	286	97	54
3	असम	4609	978	110
4	बिहार	9729	1883	70
5	छत्तीसगढ़	5161	783	157
6	गोवा	207	21	4
7	गुजरात	7274	1158	318
8	हरयाणा	2524	452	110
9	हिमाचल प्रदेश	2065	474	78
10	जम्मू-कश्मीर	2265	637	84
11	झारखंड	3958	330	188
12	कर्नाटक	8871	2350	188
13	केरल	4575	820	220
14	मध्य प्रदेश	8869	1156	333
15	महाराष्ट्र	10580	1811	361
16	मणिपुर	421	85	17
17	मेघालय	422	108	27
18	मिजोरम	370	57	9
19	नगालड	396	126	21
20	Odisha1	6688	1305	377
21	पंजाब	2951	436	142
22	राजस्थान	14221	1610	431
23	सिक्किम	147	24	2
24	तमिलनाडु	8706	1229	385
25	त्रिपुरा	828	83	18
26	उत्तराखंड	1848	257	55
27	उत्तर प्रदेश	20521	3496	773
28	पश्चिम बंगाल	10356	909	347
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	119	22	4
30	चंडीगढ़	16	0	2
31	दादरा एवं नगर हवेली	50	6	1
32	दमन और दीव	26	3	2
33	दिल्ली	38	5	0
34	लक्षद्वीप	14	4	3
35	पुडुचेरी	51	24	4
	अखिल भारतीय	151684	24448	5187

नोट:

1 राज्य ने सूचित किया है कि पीएचसी म 79 अन्य अस्पताल शामिल है जो पीएचसी के समकक्ष है।

क्र. सं.	विवरण	(31 मार्च, 2014)		
		अ	ब	क
1	अ	12522	1709	292
2	क	286	117	52
3		4621	1014	151
4		9729	1883	70
5	ख	5161	783	157
6		207	21	4
7		7274	1158	300
8	ग	2542	454	109
9	घ	2068	489	78
10	ङ	2265	637	84
11		3958	330	188
12		9264	2233	193
13		4575	829	224
14	च	8764	1157	334
15	छ	10580	1811	360
16		421	85	17
17		422	108	27
18		370	57	9
19		396	126	21
20	ज	6688	1305	377
21		2951	427	150
22	झ	14407	2082	567
23	झि	147	24	2
24		8706	1369	385
25	ञ	972	84	18
26	ट	1847	257	59
27	ठ	20521	3497	773
28	ड	10356	909	347
29	डि	119	22	4
30		16	0	2
31		51	7	1
32		26	3	2
33	दिल्ली	27	5	0
34	वाराणसी	14	4	3
35		53	24	3
		152326	25020	5363

नोट:

<sup>1</sup>राज्य ने सूचित किया है कि पीएचसी म 79 अन्य अस्पताल शामिल है जो पीएचसी के समकक्ष हैं।

राज्य - पीएचसी व सीएचसी की संख्या				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2015)		
		कुल	पीएचसी	सीएचसी
1	अंधा	7659	1069	179
2	असम	286	117	52
3	बिहार	4621	1014	151
4	छत्तीसगढ़	9729	1883	70
5	दिल्ली	5186	792	155
6	गुजरात	209	21	4
7	हरियाणा	8063	1247	320
8	हिमाचल प्रदेश	2569	461	109
9	कर्णाटक	2065	500	78
10	कश्मीर - जम्मू	2265	637	84
11	कोलकाता	3957	327	188
12	मध्य प्रदेश	9264	2353	206
13	महाराष्ट्र	4575	827	222
14	मणिपुर	9192	1171	334
15	मेघालय	10580	1811	360
16	मिजोरम	421	85	17
17	नागालैंड	428	110	27
18	ओडिशा	370	57	9
19	पंजाब	396	128	21
20	राजस्थान	6688	1305	377
21	सिक्किम	2951	427	150
22	तमिल नाडु	14407	2083	568
23	सिक्किम	147	24	2
24	उड़ीसा	8706	1372	385
25	उत्तर प्रदेश	4863	668	114
26	उत्तरांचल	1017	91	20
27	वाराणसी	1848	257	59
28	वाराणसी	20521	3497	773
29	बिहार	10357	909	347
30	बिहार	122	22	4



31		16	0	2
32		56	7	1
33		26	3	2
34	दिल्ली	27	5	0
35	लखनौ	14	4	3
36		54	24	3
		153655	25308	5396

\* 2013-14

राज्य ने सूचित किया है कि पीएचसी में 79 अन्य अस्पताल शामिल हैं जो पीएचसी के समकक्ष हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या

(31 मार्च, 2013)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्री	श्री	श्री	( - )	( - )
		( )	( )	( )	( - )	( - )
1	आंध्र प्रदेश	1709	3588	3118	470	*
2	अरुणाचल प्रदेश	97	NA	92	NA	5
3		978	NA	1495	NA	*
4		1883	2078	3532	*	*
5	असम	783	1566	362	1204	421
6		21	48	56	*	*
7		1158	1504	889	615	269
8		452	506	393	113	59
9	बिहार	474	582	558	24	*
10	केरल	637	1030	1224	*	*
11		330	330	407	*	*
12		2350	2310	2089	221	261
13		820	1119	1168	*	*
14	गुजरात	1156	1658	999	659	157
15	हरियाणा	1811	3009	2499	510	*
16		85	238	173	65	*
17		108	128	114	14	*
18		57	152	49	103	8
19		126	101	127	*	*
20		1305	1317	1027	290	278
21		436	481	440	41	*
22	झारखण्ड	1610	1824	1755	69	*
23	सिक्किम	24	NA	28	NA	*
24		1229	2394	1979	415	*
25	राजस्थान	83	NA	89	NA	*
26	तमिल नाडु	257	299	125	174	132
27	उत्तर प्रदेश	3496	4509	2861	1648	635
28	पंजाब	909	2600	1781	819	*
29	एक प्रायद्वीप	22	52	39	13	*
30		0	0	0	0	0
31		6	6	6	0	0

32		3	3	5	*	*
33	दिल्ली	5	18	18	0	*
34	लक्षद्वीप	4	7	7	0	*
35		24	58	58	0	*
		24448	33515	29562	7467	2225
-						

\*\* 2011  
# 2012  
:

- \* अधिशेष रिति व कमी हेतु पूरे भारत के आंकडे राब्यवार रिति तथा कुछ राब्य/संघ राब्य म कमी अधिशेष का योग है।
- 1 प्रद
  - 2 रिति को प्रतिशतता को गणना हेतु, राब्य/संघ राब्य क्षेत्र जहां मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है उन्हें शामिल नहीं किया गया है
  - 3 पीएससी डाटा म क्षेत्रीय अस्पताल व अन्य अस्पताल शामिल ह।

भारत (31, 2013)						
राष्ट्रीय/संघ राज्य क्षेत्र (चिकित्सक और बाल चिकित्सक)						
क्र.	राष्ट्रीय/संघ राज्य क्षेत्र	कुल	पुरुष	महिला	चिकित्सक	बाल चिकित्सक
		( )	( )	( )	( - )	( - )
1	आंध्र प्रदेश	1168	668	275	393	893
2	अरुणाचल प्रदेश	216	NA	1	NA	215
3		440	NA	119	NA	321
4		280	NA	98	NA	182
5	असम	628	628	58	570	570
6		16	5	5	0	11
7		1272	NA	74	NA	1198
8	बिहार	440	81	26	55	414
9	छत्तीसगढ़	312	NA	8	NA	304
10	दिल्ली	336	315	176	139	160
11		752	124	89	35	663
12		752	694	495	199	257
13		880	24	33	*	847
14	मध्य प्रदेश	1332	897	263	634	1069
15	गुजरात	1444	823	489	334	955
16		68	3	1	2	67
17		108	3	3	0	105
18		36	0	0	0	36
19		84	1	8	*	76
20		1508	908	305	603	1203
21		568	568	255	313	313
22	कर्नाटक	1724	298	148	150	1576
23	सिक्किम	8	NA	0	NA	8
24		1540	0	0	0	1540
25	केरल	72	NA	0	NA	72
26	लद्दाख	220	210	51	159	169
27	राजस्थान	3092	2834	1740	1094	1352
28	तमिलनाडु	1388	1792	1062	730	326
29	एक प्रायद्वीप	16	13	1	12	15
30		8	11	17	*	*
31		4	0	0	0	4

32		8	2	2	0	6
33	दिल्ली	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
35		16	2	3	*	13
		20748	10904	5805	5422	14952

# 2012

- :

- 1 प्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- \* अधिशेष रक्त कमी पूरे भारत के आंकड़े राज्यवार रक्त व कमी का यह है जिसमें कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का अधिशेष का अनदेखी
- 2 रक्त की गणना हेतु, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां मानव रहित उपलब्ध नहीं है उन्हें छोड़
- 3 विशेषज्ञ सीएचसी म संविदा आधार पर कायरत ह।

## पीएससीएस म. डॉक्टर

क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणी	कुल	महिला	अन्य	कुल	अन्य
		( )	( )	( )	( - )	( - )	( - )
1	आंध्र प्रदेश	1709	3588	3118	470	*	
2	अरुणाचल प्रदेश	117	NA	92	NA	25	
3		1014	NA	1355	NA	*	
4		1883	2078	2521	*	*	
5	असम	783	752	383	369	400	
6		21	48	56	*	*	
7		1158	1504	889	615	269	
8	बिहार	454	577	395	182	59	
9	छत्तीसगढ़	489	582	571	11	*	
10	दिल्ली	637	1030	1224	*	*	
11		330	330	372	*	*	
12		2233	2233	2155	78	78	
13		829	1119	1168	*	*	
14	हरियाणा	1157	1658	999	659	158	
15	झारखण्ड	1811	3009	2506	503	*	
16		85	238	199	39	*	
17		108	128	114	14	*	
18		57	152	49	103	8	
19		126	101	126	*	0	
20		1305	1312	973	339	332	
21		427	490	441	49	*	
22	कर्नाटक	2082	2562	2111	451	*	
23	सिक्किम	24	NA	38	NA	*	
24		1369	2612	2139	473	*	
25	गुजरात	84	NA	160	NA	*	
26	कर्नाटक	257	325	160	165	97	
27	लक्षद्वीप	3497	4509	2209	2300	1288	
28	केरल	909	2600	711	1889	198	
29	एक प्रायद्वीप	22	52	42	10	*	
30		0	0	0	0	0	
31		7	6	7	*	0	

32		3	3	5	*	*
33	दिल्ली	5	21	20	1	*
34	लक्षद्वीप	4	9	9	0	*
35		24	38	38	0	*
		25020	33666	27355	8720	2912

### 2011 का मूकृत डाटा का उपयोग किया गया

वष 2013 के डाटा का पुनरावृत्ति

# # 2011 के लिए मूकृत डाटा प्रयोग किया गया

1 प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के

\* अतिशेष रक्ति व कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रक्ति व कमा का योग है जिन कुछ राज्यों/संघ राज्यों के अतिशेष को शामिल नहीं

f

2 रक्ति प्रतिशतता का गणना हेतु राज्य/संघ राज्यों का रक्ति प्रतिशतता को छोड़ सकते ह जहां मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है।

3. क

31, 2014						
ज ( , , प , र , र )						
क्र.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र	र	र	( - )	( - )
		( )	( )	( )	( - )	( - )
1	आंध्र प्रदेश	1168	668	275	393	893
2	क प्र	208	NA	1	NA	207
3		604	NA	121	NA	483
4		280	NA	69	NA	211
5	र्ष	628	628	80	548	548
6		16	5	5	0	11
7		1200	NA	74	NA	1126
8	रि	436	150	29	121	407
9	प्र	312	0	8	*	304
10	र - र	336	315	176	139	160
11		752	111	114	*	638
12		772	733	495	238	277
13		896	30	39	*	857
14	मध्य प्रदेश	1336	897	263	634	1073
15	प्र	1440	823	462	361	978
16		68	4	3	1	65
17		108	3	3	0	105
18		36	0	0	0	36
19		84	2	5	*	79
20		1508	908	346	562	1162
21		600	563	202	361	398
22	र	2268	1511	651	860	1617
23	सिक्किम	8	NA	0	NA	8
24		1540	0	0	0	1540
25	क्षेत्र	72	NA	0	NA	72
26	र	236	197	49	148	187
27	र प्र	3092	2099	484	1615	2608
28	क्षेत्र	1388	1792	115	1677	1273
29	एक प्रायद्वीप	16	9	0	9	16
30		8	11	18	*	*
31		4	0	0	0	4
32		8	2	1	1	7
33	दिल्ली	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
35		12	2	3	*	9
		21452	11463	4091	7668	17371
	# 2013					

1 प्रत्येक स्वामित्व के लिए चार

\* अतिशेष रकम व कमी के अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रकम व कमा का योग है जिन कुछ राज्य/संघ राज्यों के अधिसूच को शामिल नहीं किया गया है।

2 रकम प्रतिशतता का गणना हेतु राज्य/संघ राज्यों का रकम प्रतिशतता को छोड़ सकते हैं जहां मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है।

3 एलोपैथिक डॉक्टर



पीएससी में डॉक्टरी की संख्या

2015

क्र.	प / प क्षेत्र	( )	( )	( )	( - )	( - )
1	आंध्र प्रदेश	1069	2270	1412	858	*
2	क प्र	117	NA	102	NA	15
3		1014	NA	1355	NA	*
4		1883	2078	2521	*	*
5	क	792	752	368	384	424
6		21	48	56	*	*
7		1247	1504	889	615	358
8	फ	461	635	489	146	*
9	प्र	500	636	571	65	*
10	म - प्र	637	1352	834	518	*
11		327	327	372	*	*
12		2353	2353	2196	157	157
13		827	1120	1169	*	*
14	क प्र	1171	1658	999	659	172
15	प्र	1811	3009	2937	72	*
16		85	238	199	39	*
17		110	128	114	14	*
18		57	152	49	103	8
19		128	108	133	*	*
20		1305	1312	1008	304	297
21		427	490	441	49	*
22	क	2083	2807	2412	395	*
23	सिक्किम	24	NA	29	NA	*
24		1372	2744	2375	369	*
25		668	1318	1024	294	*
26	प्र	91	158	158	0	*
27	न	257	325	160	165	97
28	न प्र	3497	4509	2209	2300	1288
29	प्र	909	2600	723	1877	186
30	एक प्रायद्वीप	22	42	36	6	*

31		0	0	0	0	0
32		7	6	8	*	*
33		3	3	5	*	*
34	दिल्ली	5	21	21	0	*
35	लक्षद्वीप	4	9	9	0	*
36		24	38	38	0	*
		25308	34750	27421	9389	3002

Note- # 2013  
 ### 2013-14  
 # 2013-14  
 \*\* 2013-14  
 # # 2011

1 प्रत्येक राज्य के लिए एक

2 वर्ष 2005 में कुछ राज्यों के पास उपलब्ध न होने के कारण आंकड़ों को ठोस रूप से तुलना नहीं की गई है।

3

\* अधिशेष रक्ति और कमी के लिए पूरे भारत के आंकड़े राज्यवार रक्ति व कुछ राज्यों में कमी को अनदेखी अधिशेष का योग है

सीएससी में कुल विधेय

2015

सजन, ओबीए डीजीवाई, चिकिसक व बाल चिकिसक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित	स्वीकृत	पदस्थ	खाली	कमी
		(आर )	(एस )	(पी)	(एस-पी)	(आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	716	384	159	225	557
2	अरुणाचल प्रदेश	208	NA	1	NA	207
3	असम	604	NA	121	NA	483
4	बिहार	280	NA	63	NA	217
5	छत्तीसगढ़	620	628	78	550	542
6	गोवा	16	5	4	1	12
7	गुजरात	1280	NA	74	NA	1206
8	हरयाणा	436	153	30	123	406
9	हिमाचल प्रदेश	312	0	7	*	305
10	जम्मू-कश्मीर	336	343	167	176	169
11	झारखंड	752	131	128	3	624
12	कनाटक	824	824	502	322	322
13	केरल	888	30	39	*	849
14	मध्य प्रदेश	1336	897	263	634	1073
15	महाराष्ट्र	1440	823	578	245	862
16	मणिपुर	68	4	3	1	65
17	मेघालय	108	3	3	0	105
18	मिजोरम	36	0	0	0	36
19	नगालड	84	0	4	*	80
20	ओडिशा	1508	908	356	552	1152
21	पंजाब	600	563	173	390	427
22	राजस्थान	2272	1566	526	1040	1746
23	सिक्किम	8	NA	0	NA	8
24	तमिलनाडु	1540	0	0	0	1540
25	तेलंगाना	456	284	116	168	340
26	त्रिपुरा	80	3	3	0	77
27	उत्तराखंड	236	197	49	148	187

28	उत्तर प्रदेश	3092	2099	484	1615	2608
29	पश्चिम बंगाल	1388	1792	114	1678	1274
30	एक प्रायद्वीप	16	9	0	9	16
31	चंडीगढ़	8	11	27	*	*
32	डी एंड एन हवेली	4	0	2	*	2
33	दमन और दीव	8	2	1	1	7
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
36	पुडुचेरी	12	2	3	*	9
	अखिल भारत	21584	11661	4078	7881	17525

Note-

# वर्ष 2013 के डाटा का पुनरावृत्ति एनए: उपलब्ध नहीं

### वर्ष 2013-14 के डाटा का स्थिति व वर्ष 2011 के विकृत डाटा का उपयोग

वर्ष 2013-14 के डाटा का पुनरावृत्ति

\*\* वर्ष 2013-14 के डाटा का स्थिति

# # वर्ष 2011 के लिए विकृत डाटा उपयोग

1

विक्रम सीएससी के लिए चार विशेष

2

वर्ष 2005 में कुछ राज्य के पास उपलब्ध न होने के कारण आंकड़ों को ठोस रूप से तुलना नहीं की गई है।

3

वर्ष 2013 हेतु सीएससीएच में कायदा विशेष संविदा पर है।

\* अधिशेष रकम और कमी के लिए पूरे भारत के आंकड़े रायवार रकम व कुछ राज्यों में कमी का अनदेका अधिशेष का योग है  
रकम एवं रोग विशेष